

# छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड की ऑनलाईन योजनाएँ

[cg handicrafts.cgstate.gov.in](http://cg handicrafts.cgstate.gov.in)

## 01. प्रशिक्षण योजना:-

हस्तशिल्प विकास बोर्ड द्वारा प्रदेश के परम्परागत/गैर परम्परागत शिल्पियों को कृषि व गैर कृषि सेक्टर के अल्पकालिक रोजगार प्राप्त मजदूरों एवं शिक्षित बेरोजगार युवक एवं युवतियों को विभिन्न शिल्पों में प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जाता है।

शासन की नई नीति के अनुरूप प्रशिक्षण स्वरोजगार के लिए दिया जाता है। प्रशिक्षण इस स्तर का होना चाहिए कि शिल्पी खुले बाजार में अपने प्रतिद्वन्दियों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो सके, इस हेतु प्रशिक्षण को अत्याधिक प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं में शिल्पियों के लिये विभिन्न स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। जिनमें प्रमुख है :-

स्तर	प्रशिक्षण	समायावधि
प्रथम	बुनियादी प्रशिक्षण	06 माह
द्वितीय	उन्नत प्रशिक्षण	06 माह
तृतीय	अति उन्नत प्रशिक्षण	06 माह
चतुर्थ	समग्र प्रशिक्षण	06 माह
पंचम	शिल्प कार्यशाला	15 से 30 दिन

हस्तशिल्पियों का प्रशिक्षण योजना हेतु आवेदन पत्र :-

निराकरण की समय  
सीमा 30 दिवस

प्रति,

प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,  
छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड,  
..... (छ.ग.)

पासपोर्ट साइज का  
रंगीन फोटोग्राफ्स  
अभिप्रमाणित कर  
लगावें।

विषय : ..... शिल्प में प्रशिक्षण प्राप्त करने बाबत।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि आपके कार्यालय द्वारा ग्राम पंचायत .....  
विकासखण्ड ..... जिला ..... (छ.ग.) में .....शिल्प में  
बुनियादी/उन्नत प्रशिक्षण का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। जिसमें मैं प्रशिक्षण में भाग लेना  
चाहता/चाहती हूँ, जिसके लिये मेरी व्यक्तिगत जानकारी निम्नानुसार है :-

1. नाम : .....
2. पिता/पति : .....
3. गरीबी रेखा सर्वे सूची क्र. : .....
4. उम्र : .....
5. शिक्षा : .....
6. जाति : .....
7. वर्तमान पता : .....

मैं घोशणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त दी गयी जानकारी सत्य है, उक्त प्रशिक्षण के लिये यदि  
मेरा/मेरी चयन किया जाता है तो मैं महोदय जी का आभारी रहूँगा/रहूँगी।

आवेदक का हस्ताक्षर

जाति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु./श्रीमती .....

पिता/पति ..... जाति ..... ग्राम .....

विकासखण्ड ..... तहसील ..... जिला .....

(छ.ग.) का मूल निवासी है। इनकी जाति ..... है, जो कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित

जनजाति/सामान्य वर्ग/पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आता है।

सरपंच

पदमुद्रा/सील